न्यायालय सहायक कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी: अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:- 74/2012 प्रार्थना पत्र

उनवान

1. प्रेम बाई पत्नी लेहरु लाल जी खारोल पुत्री प्यारा जी खारोल उम्र 55 वर्ष निवासी पदमपुरा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द ।
2. सायर देवी पत्नी रामसुख खारोल पुत्री प्यारा जी खारोल उम्र 62 वर्ष निवासी खारोल मन्दीर के पास पूर तहसील व जिला भीलवाड़ा।
3. देउ बाई पत्नी पन्ना जी खारोल उम्र वयस्क निवासी घोली, वाया दौलतगढ़ तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा।
4. तुलसी बाई पत्नी उगमा जी खारोल उम्र वयस्क निवासी घोली, वाया दौलतगढ़ तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा।

प्रार्थीगण

बनाम

1. रामा पुत्र प्यारा जी खारोल उम्र 65 वर्ष निवासी खारोल मन्दीर के पास पूर तहसील व जिला भीलवाड़ा।
2. घनश्याम मणिहार पुत्र श्री धन्ना लाल जी मणिहार उम्र 38 वर्ष निवासी जी-6 आर के कॉलोनी, भीलवाड़ा।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा।
4. सुरेन्द्र कुमार पुत्र जीवराज कटारिया उम्र वयस्क निवासी हनुमान मंन्दिर के पास, शास्त्रीनगर भीलवाड़ा।

--विपक्षीगण

<u>वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 92 (ए) व 188 राज० काश्तकारी अधिनियम</u>
<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

उपस्थित-

1. श्री सत्यनारायण सोमानी प्रार्थी अधिवक्ता
2. श्री अम्बा लाल कुमावत अप्रार्थी संख्या 1 अधिवक्ता
3. श्री भैरू लाल बाफना अप्रार्थी संख्या 2 अधिवक्ता
4. श्री पृथ्वीराज चौधरी अप्रार्थी संख्या 4 अधिवक्ता
5. पैरोकार सरकार

निर्णय दिनांक 26/6/2025

प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री गोपाल लाल अजमेरा द्वारा दिनांक 08.02.2012 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को रजिस्टर क्रम संख्या 74/2012 पर दर्ज किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है :

26/6/2025
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

प्रार्थीगण एवं विपक्षी सं. 1 का पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार है

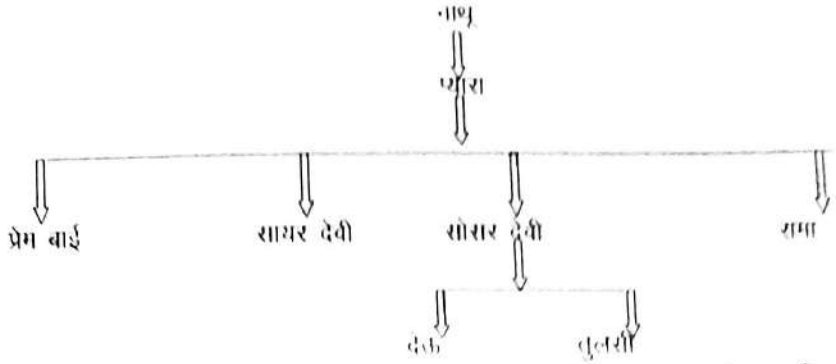

उक्त सजरे अनुसार अर्थात प्रार्थीगण एवं विपक्षी सं. 1 की ग्राम पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा पुश्तैनी कृषि आराजियात आराजी नम्बर 3213, 3222, 3244, 3252, 3464 कुल किता 5 कुल रकबा 5 बीघा 12 बिस्वा भूमि स्थित है।

उक्त वर्णित कृषि आराजियात प्यारा जी की विरासत का नामान्तरण के बजाय रामा जी के नाम दर्ज किया है। इसी प्रकार एक अन्य आराजी संख्या 3412 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा मे प्यारा जी का 1/2 हिस्सा निहित था उसका नामान्तरण विपक्षी सं. 1 रामा जी के नाम खोला गया है। आराजी सं. 3408 रकबा 1 बीघा, आराजी सं. 9197/3408 रकबा 10 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा मे नाथू जी का 1/4 हिस्सा व आराजी सं. 2709 आराजी चाह रकबा 3 बिस्वा में नाथू जी का 1/6 हिस्सा दर्ज है वह राजस्व रेकार्ड में वर्तमान में भी नाथू जी के नाम पर ही दर्ज चली आ रही है। इसके अतिरिक्त ग्राम पुर की आराजी सं. 3227 रकबा 6 बिस्वा का 1/3 हिस्सा एवं आराजी सं. 3763 रकबा 2 बिस्वा जो रामा पिता प्यारा के नाम पर दर्ज है वह भी पुश्तैनी है।

ग्राम पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा की कृषि आराजियात आराजी नम्बर 3213, 3222, 3244, 3252, 3464 कुल किता 5 कुल रकबा 5 बीघा 12 बिस्वा एवं आराजी संख्या 3412 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा भूमि जो कि नाथू जी एवं प्यारा जी के समय की है अर्थात प्रार्थीगण एवं विपक्षी सं. 1 की पुश्तैनी है। नाथू जी एवं प्यारा जी का निधन हो चुका है। नाथू जी के वारिस प्यारा जी थे एवं प्यारा जी के प्रथम श्रेणी के विधिक वारिसान प्रार्थीगण एवं विपक्षी सं. 1 है। आराजी सं. 3408, 9197/3408 एवं 2709 का नामान्तरण राजस्व रेकार्ड मे अभी तक नही खोले जाने से नाथू जी के नाम पर ही उक्तानुसार 1/4 एवं 1/6 हिस्सा दर्ज चला आ रहा है। शेष आराजियात के संबन्ध मे प्यारा जी का निधन सन् 1989 मे होने के बाद जो नामान्तरण खोला गया वह विपक्षी सं. 1 ने जरिये नामान्तरण सं. 2362 दिनांक 23.06.1990 से स्वयं अकेले के नाम पर खुलवा लिया प्रार्थीगण जो की प्यारा जी के प्रथम श्रेणी के वारिसान है तथा उन्हे सुने बिना एवं कोई जानकारी दिये बिना विपक्षी सं. 1 ने स्वयं के नाम पर पोशिदातौर पर नामान्तरण खुलवा लिये जाने के कारण वर्तमान मे विपक्षी सं. 1 का ही नाम राजस्व रेकार्ड मे दर्ज है जबकि प्यारा जी की विरासत प्रार्थीगण एवं विपक्षी सं. 1 मे समान रूप से निहित हुई है तथा विपक्षी सं. 1 का मात्र 1/4 हिस्सा ही बनता है शेष 3/4 हिस्सा प्रार्थीगण में निहित हुआ है। इस कारण प्रार्थीगण एवं विपक्षी सं. 1 विरासत से संयुक्तौर पर मालिक एवं खातेदार होकर कब्जा काश्त कर रहे है।

प्रार्थीगण को उक्त अनुसार पोषिदातौर पर नामान्तरण विपक्षी कम 1 के द्वारा स्वयं अकेले के नाम पर खुलवा लिये जाने की जानकारी दिनांक 15 जनवरी 2012 को हुई जब विपक्षी कम 1 ने आराजी सं. 3412 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा के आधे हिस्से को तथा 3464 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा को राजस्व रेकार्ड मे विपक्षी कम 1 के नाम पर दर्ज होने के आधार पर विपक्षी कम 2 के पक्ष में एक रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांकित 16.11.2010 को निष्पादित करवा कर रजिस्ट्री करवा दी जिसके आधार पर वह मौके पर कब्जा करने आया तब प्रार्थीगण ने इस संबन्ध मे राजस्व रेकार्ड की नकले निकलवाकर जानकारी प्राप्त हुई कि विपक्षी कम 1 के द्वारा राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर विक्रय पत्र विपक्षी कम 2 के पक्ष में निष्पादित करवा दिया है जो पूरी तरह शून्य व अवैध हैं।

26/6/2015
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

प्रार्थीगण दिनांक 17.07.2012 को आदेश 6 नियम 17 एवं आदेश 1 नियम 10 (2) सी0 पी0 सी0 का प्रार्थनापत्र पेश किया, प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक20.11.2012 को स्वीकार किये जाने से प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा संशोधित प्रार्थना पत्र दिनांक 22.10.2019 को पेश किया गया जिसमें अप्रार्थी संख्या 4 को नवीन पक्षकार कायम किया गया। संशोधित प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त भूमि के दौरान स्थगन विक्रय किये जाने से नवीन क्रेता को पक्षकार कायम किया गया तथा निम्नानुसार नवीन प्रार्थना की गई

"इसी प्रकार विपक्षी कम 1 ने दौराने प्रार्थनापत्र एवं स्थगन के आराजी सं. 3213, 3222, 3244, 3252 का सम्पूर्ण हिस्सा एवं आराजी सं. 3227 का 1/3 हिस्सा श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र जीवराज कटारिया निवासी हनुमान मन्दिर के पास, शास्त्रीनगर भीलवाड़ा के पक्ष में दिनांक 13.02.2012 को विक्रय पत्र पंजीयन करवा दिया, जो पूरी तरह शून्य एवं अवैध है।"

विपक्षी कम 1 द्वारा राजस्व रेकार्ड में प्रार्थीगण नाथू पुत्र प्यारा के प्रथम श्रेणी के वारिस है उनसे छिपा कर स्वयं के नाम पर नामान्तरण खुलवा लेने मात्र से प्रार्थीगण में निहित हक अधिकार समाप्त नहीं होते है नामान्तरणकरण मात्र एक फिस्कल प्रोसीडिंग है, जिससे कोई हक अधिकार तय नहीं होता है। प्रार्थीगण को इस तथ्य की जानकारी होने पर उन्होने विपक्षी कम 1 व 2 से यह कहा कि विपक्षी कम 1 का प्यारा जी की जायदाद मे मात्र 1/4 हिस्सा ही बनता है। इस कारण उससे अधिक हिस्से पर विपक्षी कम 1 का कोई अधिकार नही होने से उसके द्वारा निष्पादित विक्रय पत्र से भी विपक्षी कम 2 को विपक्षी कम 1 मे निहित 1/4 हक हिस्से से अधिक कोई हक अधिकार निहित नही होते है। इस कारण राजस्व रेकार्ड मे प्रार्थीगण का 3/4 हक हिस्से अनुसार इन्द्राज करवावे लेकिन विपक्षी कम 1 व 2 इस हेतु तयार नही हुए एवं कहने लगे कि पूरी जमीन पर कब्जा करेंगे एवं आगे और भी विक्रय कर देंगे इस कारण प्रार्थीगण को विपक्षीगण के विरूद्ध इस आशय की घोषणा एवं निषेधाज्ञा बाबत वादपत्र प्रस्तुत किया है जो काफी ठोस व मजबूत आधारो पर होने से अवश्य डिक्री होने योग्य है।

"इसी प्रकार विपक्षी कम 1 ने दौराने प्रार्थनापत्र एवं स्थगन के आराजी सं. 3213, 3222, 3244, 3252 का सम्पूर्ण हिस्सा एवं आराजी सं. 3227 का 1/3 हिस्सा श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र जीवराज कटारिया निवासी हनुमान मन्दिर के पास, शास्त्रीनगर भीलवाड़ा के पक्ष में दिनांक 13.02.2012 को विक्रय पत्र पंजीयन करवा दिया जो पूरी तरह शुन्य एवं अवैध होकर उसके आधार पर विपक्षी सुरेन्द्र कुमार को दखल एवं अवरोध उत्पन्न कराने तथा राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज कराने का अधिकारी नहीं है।"

प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला है एवं सुविधा संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष मे है। विपक्षी कम 1 द्वारा विपक्षी कम 2 के पक्ष मे कराये गये विकय पत्र अवैध एवं शून्य है। विक्रय पत्र के आधार पर विपक्षी कम 2 के पक्ष मे खोले गये नामान्तरण के आधार पर प्रार्थीगण को अपने हक हिस्से की आराजियात मे उपयोग उपभोग मे बाधा उत्पन्न कर आराजियात से बेदखल कर देता है एवं विपक्षी कम 2 के नाम पर खोले गये नामान्तरण के आधार पर उसके द्वारा प्रार्थीगण के हक हिस्से व आराजियात को अन्यथा विक्रय, रहन व बखशीस कर दी जाती है तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी। जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से किया जाना संभव नहीं हो सकेगा। इस कारण प्रार्थीगण के पक्ष मे इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि विपक्षीगण द्वारा प्रार्थीगण को अपने हक हिस्से के आराजियात के उपयोग व उपभोग मे बाधा उत्पन्न नही करे एवं करावें और वादग्रस्त आराजियात को अन्यथा खुर्द बुर्द, विकय, रहन व बखशीस नहीं करें।

अतः निवेदन है कि प्रार्थीगण के पक्ष में इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि विपक्षीगण द्वारा प्रार्थीगण को अपने हक हिस्से के आराजियात के उपयोग व उपभोग मे बाधा उत्पन्न नही करे एवं करावें और वादग्रस्त आराजियात को अन्यथा खुर्द बुर्द, विकय, रहन व बखशीस नही करें।

अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से दिनांक 10.07.2012 को जवाब पेश किया गया जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:-

वादपत्र में वर्णित पारिवारीक राजरा प्रार्थीगण स्वयं साबित करावे।

विपक्षी जवाबदाता के पिता जी ने अपने जीवनकाल में ही प्रार्थीगण की शादिया कर दी है तथा प्रार्थीगण अपने-अपने ससुराल निवास कर रही है तथा विपक्षी संख्या 01 प्यारा जी का पुत्र होने से तथा उक्त विवादित सम्पुर्ण आराजियात पर विपक्षी संख्या 01 का कब्जा होने से विरासत से नामान्तरण विपक्षी संख्या 01 पर खोला गया है, जो विधिसम्मत है। पांच साल पूर्व प्रार्थीगण का मायरा मुकलावा विपक्षी संख्या 01 ने किया है, जिसमें करीब तीन लाख रूपये खर्च हुये है तथा प्रार्थीगण अपने पिता जी के जीवनकाल से ही अपने अपने ससुराल में निवास कर रही है तथा समस्त काज करवायर का खर्चा भी विपक्षी संख्या 01 ने वहन किया है तथा विपक्षी संख्या 01 अंधा व्यक्ति है, जो जन्मजात अंधा है। इस कारण प्रार्थीगण विपक्षी संख्या 01 को तंग परेशान करने की गरज से झूठे तथ्य अंकित कर प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो खारिज किये जाने योग्य है।

26/6/25

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

विपक्षी संख्या 01 ने किसी प्रकार की कोई मिलीभगत नहीं की है तथा विधिवत नामान्तकरण की कार्यवाही की गयी है। उक्त नामान्तकरण सन् 1990 में खुला है, जिसकी प्रार्थीगण को पूर्णतया जानकारी है तथा मौके पर प्रार्थीगण ने कभी काश्त नहीं की है, बल्कि विपक्षी संख्या 01 जवाबदाता ही विरासात से काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है तथा समय समय पर प्रार्थीगण के सामाजिक कार्यक्रम एवं मायरा मुकलावा का खर्चा वहन करता आ रहा है तथा विपक्षी संख्या 01 को जायज जरूरत हेतु रूपयों की आवश्यकता होने से विपक्षी संख्या 01 के पक्ष में रजिस्टर्ड विक्रयपत्र निष्पादित किया है, जो सही निष्पादित किया गया है। प्रार्थीगण ने लालच के वशीभूत होकर एक अंधे एवं अनपढ विपक्षी संख्या 01 को तंग परेशान करने की गरज से दावा पेश किया है। प्रार्थीगण का उक्त विवादित आराजियात पर कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है तथा विपक्षी जवाबदाता ही उक्त आराजी पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है तथा विक्रयशुदा आराजी पर विक्रेता विपक्षी संख्या 02 को विधिवत क्रय दिनांक को कब्जा दिया गया है, तभी से विपक्षी संख्या 02 विक्रयशुदा आराजी पर काबिज है। प्रार्थीगण ने एक मन गढन्त एवं झूठी कहानी रचकर उक्त प्रार्थनापत्र पेश किया है, जो खारिज किये जाने योग्य है।

उक्त आराजी में प्रार्थीगण का कोई हक हिस्सा निहित नहीं है तथा न ही कब्जा काश्त की है तथा जब मौके पर प्रार्थीगण का कोई कब्जा ही नहीं है तो बेदखल करने की धमकी देने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। विपक्षी संख्या 01 अपने पिता से विरासात में प्राप्त आराजीयात पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है तथा विपक्षी संख्या 02 एक सद्भाविक क्रेता होकर खातेदार काश्तकार है, जिसने पूर्ण प्रतिफल राशि अदा कर उक्त जमीन क्रय की है। प्रार्थीगण का उक्त आराजी से कोई हक व वास्ता नहीं है। प्रार्थीगण ने विपक्षीगण को तंग एवं परेशान करने की गरज से झूठी एवं मन गढन्त कहानी रचकर प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो खारिज किये जाने योग्य है। विपक्षीगण रेकार्डेड खातेदार है तथा प्रार्थीगण रेकार्डेड खातेदार के विरूद्ध किसी प्रकार की स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त उनवान का जो दावा प्रस्तुत किया है, जो आधारहीन एवं सारहीन होने से अवश्यमेव खारिज होगा।

प्रार्थीगण का कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं है तथा न ही सुविधा का संतुलन ही प्रार्थीगण के पक्ष में है तथा न ही अपूरणीय क्षति ही प्रार्थीगण को होगी।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र नोनमेन्टेबल है। प्रार्थीगण को विपक्षीगण 01 के विरूद्ध किसी प्रकार की प्रार्थनापत्र पेश करने की नोईयत उत्पन्न नहीं हुई है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र आदेश 07 नियम 11 जा0 दी0 के तहत प्राथमिक स्तर पर ही खारिज किये जाने योग्य है।

प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थनापत्र के शीर्षक में अंकित किया कि प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 88 89, 92ए एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम जो कि घोषणा वाद है, जिसमें विपक्षी संख्या 03 को आवश्यक पक्षकार बनाया गया है, जिनके विरूद्ध कोई भी प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने से पूर्व धारा 80 जा0 दी0 का नोटिस दिया जाना अति आवश्यक है। जबकि प्रार्थीगण द्वारा विपक्षी संख्या 03 को वाद प्रस्तुत करने से पूर्व धारा 80 जा0 दी0 का नोटिस नहीं दिया गया है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र पोषणीय नहीं होकर प्राथमिक स्तर पर ही खारीज किये जाने योग्य है।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपने प्रार्थनापत्र में प्रार्थीगण का रजिस्टर्ड पत्ता अंकित नहीं किया है और उसके अभाव में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र सिविल प्रकिया संहिता में अभिलिखित सिद्धान्तों के विपरीत होकर प्रार्थनापत्र प्राथमिक स्तर पर ही खारिज किये जाने योग्य है।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण ने तारीखे, राशिया और संख्याएं अंकों में अंकित किया है जबकि आदेश 06 नियम 2 (3) जा0 दी0 के अनुसार प्रार्थनापत्र में तारीखे, राशिया और संख्याऐ अंकों और शब्दों में अंकित नहीं किया गया है और इसके अभाव में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र प्राथमिक स्तर पर हीं खारिज होने लायक है।

26/6/25
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

अतः प्रार्थना है कि विपक्षीगण जवाबदाता की ओर से प्रस्तुत जवाबदावा रेकॉर्ड पर लिया जाकर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र सव्यय निरस्त फरमाया जावे।

अप्रार्थी संख्या 2 व 4 को पूर्व में कई बार जवाब हेतु अवसर दिये जाने के बावजूद भी जवाब पेश नही करने पर दिनांक 04.11.2024 को अप्रार्थी संख्या 2 व 4 का जवाब बंद किया गया। दिनांक 31.01.2025 को अप्रार्थी संख्या 2 व 4 का जवाब बंद किया जाने पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जाब्ता दीवानी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 2 व 4 के जवाब का अवसर पुनः खोला गया। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से दिनांक 11.03.2025 को नवीन वकालतनामा मूल बाद में पेश किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 /विपक्षी सं. 2 की ओर से दिनांक 11.03.2025 को जवाब पेश किया जिसका संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है :-

प्रार्थनापत्र में वर्णित पारिवारिक राजरा प्रार्थीगण स्वयं अपनी साक्ष्य से साबित करावे ।

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में यह कथन किया गया है कि प्यारा जी का निधन सन 1989 में हो गया था। जब प्यारा जी का देहान्त हिन्दु उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 प्रभाव में आने के पूर्व ही हो गया था तो उस वक्त के प्रचलित कानून के अनुसार एक पिता की सम्पत्ति में उसकी पुत्रियों को कोई अधिकार प्राप्त नही होता था। पुत्रियों को हिन्दू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के प्रभाव में आने के बाद कोपार्सनर बनाया गया है लेकिन इसके पूर्व ही प्यारा जी का देहान्त होने के बाद उनकी विरासत से उनके सारे अधिकार उनके पुत्र रामा में निहित हो गय थे। जिसरो उनके नाम की भूमि नामान्तरकरण सं. 2362 दिनांक 23-06-1990 से विपक्षी सं. 1 रामा के नाम पर दर्ज हुई जिसके बारे में प्रार्थीगण की सहमति होने से ही उन्होंने इस नामान्तरकरण को अपील के माध्यम से कभी कोई चुनौती नहीं दी। अगर उन्हें कोई एतराज होता तो वे उसी समय इस नामान्तरकरण को निरस्त कराने के लिये कानूनी कार्यवाही अवश्य करती लेकिन उन्होंने ऐसा न कर करीब 22 वर्ष बाद विपक्षी सं. 1 व 2 से नाजायज रकम ऐंठने की नीयत से लालचवश यह झूठा दावा पेश किया है जो झूठा होने से निरस्त होने योग्य है। यह नामान्तरकरण खुलने के बाद विपक्षी सं. 1 वादग्रस्त भूमि का एकमात्र खातेदार मालिक हो गया था। प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र में यह लिखना सरासर गलत है कि विपक्षी सं. 1 का इस वादग्रस्त भूमि में 1/4 हिस्सा ही बनता है बल्कि प्रार्थनापत्र में वर्णित प्यारा जी के नाम की समस्त भूमि का एकमात्र खातेदार विपक्षी सं. 1 हो गया था । विपक्षी सं. 1 ने ही प्यारा जी के परिवार की समस्त जिम्मेदारियों, खर्चों व समस्त सामाजिक व पारिवारिक दायित्वों जैसे शादी-ब्याह, मायरा मुकलावा आदि खर्चों को वहन किया था व कर रहा है।

प्रार्थीगण को दिनांक 15-01-2012 को उक्त नामान्तरकरण की जानकारी होने का तथ्य सरासर गलत है। उक्त नामान्तरकरण सन् 1990 में ही खुल चुका था जिसकी प्रार्थीगण को पूर्णरूप से जानकारी थी। उक्त भूमि के मौके पर प्रार्थीगण का कभी कोई अधिकार आधिपत्य नहीं रहा था क्योंकि वे विवाहित होकर अपने-अपने ससुराल रहती है और वहीं की जमीन जायदाद पर ही वे काबिज है। विपक्षी सं. 1 ने अपने परिवार की जायज जरूरत होने से उसने साधिकार ग्राम पुर में स्थित आराजी नं. 3412 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा में उसके सम्पूर्ण 1/2 अर्थात् सम्पूर्ण आधे हिस्से तथा आराजी नं. 3464 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा सम्पूर्ण को दिनांक 16-11-2010 को मुझ विपक्षी सं. 2 को सप्रतिफल 3,50,000/- तीन लाख पचास हजार रूपयों में विक्रय कर विक्रयपत्र का पंजीयन कराकर इस भूमि पर मुझे अधिकार आधिपत्य प्रदान कर दिया था तब से इस क्रयशुदा भूमि पर मुझ विपक्षी सं. 2 का ही कब्जा निरंतर चला आ रहा है। वादग्रस्त भूमि राजस्व अभिलेख में विपक्षी सं. 2 के नाम पर जरिये नामान्तरकरण अभिलिखित होकर इसका मैं विपक्षी सं. 2 रेकार्डेड खातेदार हूं और इस भूमि पर निरंतर काश्त करता आ रहा हूँ । विपक्षी सं. 1 से विधिवत रूप से मुझ विपक्षी सं. 2 ने सप्रतिफल उक्त भूमि क्रय की है। प्रार्थीगण ने मनगढंत एवं झूठी कहानी रचकर मुझ विपक्षी सं. 2 से नाजायज रकम ऐंठने की नीयत से यह झूठा प्रार्थनापत्र पेश किया है जो सव्यय निरस्तनीय है।

26/12/25
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

उक्त वादग्रस्त आराजियात में प्रार्थीगण का कोई भी हक हित निहित नहीं है और न ही उनकी कब्जा काश्त है। जब प्रार्थीगण का मौके पर कोई कब्जा ही नहीं है तो उनको इस भूमि में बेदखल करने की धमकी देना या बेदखल करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। विपक्षी सं. 1 अपने पिता से विरासत से प्राप्त उक्त वादग्रस्त आराजियात पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा था जिसने पूर्ण प्रतिफल राशि प्राप्त कर उक्त भूमि मुक्त विपक्षी सं 2 को विक्रय कर मुक्त आधिपत्य प्रदान किया है। प्रार्थीगण का उक्त आराजियात में कोई हक वास्ता नहीं है। प्रार्थीगण ने विपक्षीगण को परेशान करने की नीयत से मनगढंत कहानी रचकर यह झूठा प्रार्थनापत्र पेश किया है जो सत्यय निरस्तनीय है। विपक्षी सं. 2 क्रयशुदा उक्त भूमि का रेकार्डेड खातेदार है जिसके विरूद्ध प्रार्थीगण किसी भी प्रकार की स्थायी या अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं होने से उनके द्वारा प्रस्तुत यह प्रार्थनापत्र मिथ्या होने से निरस्तनीय है। प्रार्थीगण का वादग्रस्त भूमि में 3/4 या अन्य किसी प्रकार का कोई हक व हिस्सा तथा कब्जा नहीं है। रजिस्टर्ड विक्रयपत्र को शून्य व अप्रभावी या निरस्त करने का माननीय राजस्व न्यायालय को कोई भी अधिकार नहीं होता है। इस तरह का अधिकार केवल माननीय सिविल न्यायालय को ही होता है। जब तक प्रार्थीगण सिविल न्यायालय से इस तरह का कोई अनुतोष प्राप्त नहीं कर ले तब तक उनको स्थायी घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का वादपत्र पेश करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रार्थीगण का यह वादपत्र प्रिमेच्योर होने से निरस्तनीय है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र सर्वथा निराधार होने से निरस्तनीय है।

प्रार्थीगण का कोई प्रथमदृष्टया मामला नहीं है और न ही सुविधा संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है। वादग्रस्त आराजियात पर प्रार्थीगण का का कोई कब्जा नहीं है जिससे उन्हें कोई अपरिमित क्षति नहीं होगी । जब प्रार्थीगण का वादग्रस्त आराजियात पर कोई कब्जा है ही नहीं तो उन्हें बेदखल करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र असत्य एवं आधारहीन होने से निरस्तनीय है।

प्रार्थीगण को विपक्षी सं 2 के विरूद्ध व अन्य विपक्षीगण के विरूद्ध यह प्रार्थनापत्र पेश करने का कोई भी कारणवाद उत्पन्न नहीं होता है जिससे प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के तहत प्राथमिक स्तर पर ही निरस्त होने योग्य है।

प्रार्थीगण ने अपने वादपत्र में अपना रजिस्टर्ड पता अंकित नहीं किया है जबकि सिविल प्रक्रिया संहिता में रजिस्टर्ड पता पेश करने का आदेशात्मक प्रावधान है। ऐसी परिस्थिति में प्रार्थीगण द्वारा वादपत्र सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेशात्मक प्रावधान की पालना नहीं करने से निरस्त होने योग्य है।

सिविल प्रक्रिया संहिता में यह भी प्रावधान है कि वादपत्र में तारीखें, राशियों व अन्य संख्याओं को अंको के साथ–साथ शब्दों में भी अभिलिखित किया जाना आवश्यक है किन्तु प्रार्थीगण ने अपने वादपत्र में संख्याओं को शब्दों में अंकित नहीं कर कानूनी प्रावधानों की पालना नहीं की है जिससे प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र प्राथमिक स्तर पर ही निरस्त होने योग्य है।

प्रार्थीगण ने घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा बाबत् प्रस्तुत वादपत्र व इस प्रार्थनापत्र में विपक्षी सं. 3 को लैण्ड होल्डर होने से पक्षकार बनाया गया है किन्तु राज्य सरकार के विरूद्ध यह वाद पेश करने से पूर्व उनको धारा 80 जा.दी. का 2 माह का नोटिस नहीं दिलाया है जो कि दिलाया जाना आवश्यक है जिससे प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र प्रथम दृष्टया ही पोषणीय नहीं होने से प्राथमिक स्तर पर ही निरस्त होने योग्य है ।

अतः प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का यह प्रार्थनापत्र असत्य एवं आधारहीन होने से सव्यय निरस्त फरमाया जावे ।

अप्रार्थी/विपक्षी सं 4 सुरेन्द्र कुमार पिता जीवराज जी कटारिया उम्र वयस्क निवासी हनुमान मंदिर के पास शास्त्रीनगर, भीलवाड़ा की ओर से दिनांक 17.03.2025 को निम्नलिखित जवाबदावा पेश है:–

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

प्रार्थनापत्र की धारा संख्या 4 गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थीगण का दिनांक 15 01 2012 को उक्त नामान्तरकरण की जानकारी होने का तथ्य सरासर गलत है। उक्त नामान्तरकरण सन् 1990 में ही खुल चुका था जिसकी प्रार्थीगण को पूर्णरूप से जानकारी थी। उक्त भूमि के मौके पर प्रार्थीगण का कभी कोई अधिकार आधिपत्य नहीं रहा था क्योंकि वे विवाहित होकर अपने अपने ससुराल रहती है और वहीं की जमीन जायदाद पर ही वे काबिज है। विपक्षी सं 1 ने रकबा 09 बिस्वा, आराजी नम्बर 3222 रकबा 16 बिस्वा आराजी नम्बर 3244 रकबा 01 बीघा 11 बिस्वा, आराजी नम्बर 3252 रकबा 01 बीघा 05 बिस्वा एवं आराजी नम्बर 3227 रकबा 05 बिस्वा में से उसका 1/3 हक हिस्सा सम्पूर्ण को दिनांक 13 02 2012 को मुझ विपक्षी सं 4 को सप्रतिफल 15,00,000/—पन्द्रह लाख रूपयों में विक्रय कर विक्रयपत्र का पंजीयन कराकर इस भूमि पर मुझ अधिकार आधिपत्य प्रदान कर दिया था तब से इस क्रयशुदा भूमि पर मुझ विपक्षी सं. 4 का ही कब्जा निरंतर चला आ रहा है। यह भूमि राजस्व अभिलेख में मुझ विपक्षी सं. 4 के नाम पर अंकित नामान्तरकरण अभिलिखित होकर इसका मैं विपक्षी सं. 4 रेकार्डेड खातादार हूँ और इस भूमि पर निरंतर काश्त करता आ रहा हूँ। विपक्षी सं. 1 से विधिवत रूप से मुझ विपक्षी सं. 4 ने सप्रतिफल उक्त भूमि क्रय की है। प्रार्थीगण ने मनगढंत एवं झूठी कहानी रचकर मुझ विपक्षी सं. 04 से नाजायज रकम ऐंठने की नीयत से यह झूठा वादपत्र पेश किया है जो सव्यय निरस्तनीय है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में उभयपक्षकारान् अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं सम्बन्धित विधि का अनुशीलन किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एसबी सिविल मिसालेनियस अपील संख्या 4276/2011 निर्णय दिनांक 30.04.2013 उनवान निरंजन सिंह व अन्य बनाम राजेश कुमार तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 1269–1270/2019 उनवान प्यारेलाल बनाम शुभेन्द्र पिलानिया निर्णय दिनांक 29.01.2019 तथा अप्रार्थीगण द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एसबी सिविल मिसलेनियस अपील संख्या 2283/2015 निर्णय दिनांक 01.12.2015 माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा रिविजन संख्या 28/95/टीए/भरतपुर फुसिया बनाम रामभरोसी एवं निगरानी संख्या 284/94/निगरानी/टीए/जयपुर नाथु बनाम भूरा निर्णय दिनांक 29.06.1996 व माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर की खण्डपीठ द्वारा अपील डिकी संख्या 100/टोंक/1997 निर्णय दिनांक 13.01.2003 की प्रतियां पेश की, जिनका ससम्मानपूर्वक अवलोकन किया गया।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किये जाने हेतु निम्नांकित तीन बिन्दुओं का निस्तारण किया जाना आवश्यक है:—

1. प्रथम दृष्टया मामला:—

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 की पुश्तैनी आराजियात है, जो उनके पिता प्यारा को उनके दादा नाथू से जरिये वसियत प्राप्त हुई है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अनुसार निखसियती पुरूष की मृत्यु होने पर धारा 8 के अनुसार अधिकार तय किये जाते है। वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी संख्या 01 व 02 प्यारा जी की पुत्री तथा अप्रार्थी संख्या 03 व 04 प्यारा जी की पुत्री सोसर देवी की पुत्रीयां है। इस बात की स्वीकारोक्ती अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र में किया गया है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि अप्रार्थी संख्या 01 व प्रार्थीगण की पुश्तैनी आराजीयात होने से हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की अनुसूची के वर्ग 1 के अनुसार प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 01 को उनके उत्तराधिकार के अनुसार अधिकार प्राप्त होते है। अतः प्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला साबित होता है। अप्रार्थी संख्या 01 के अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि 2005 से पूर्व अप्रार्थी संख्या 01 के नाम जरिये वसियत दर्ज हो चुकी थी। अप्रार्थी संख्या 01 अंधा व्यक्ति था। प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 23.06.10 को अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में निर्णित नामान्तरण संख्या 2362 के विरूद्ध किसी प्रकार की अपील पेश नहीं की गई है। साथ ही हिन्दू उतराधिकार संशोधित अधिनियम 2005 के प्रभाव में आने से पूर्व ही प्यारा पिता नाथू का देहांत हो चुका था और तत्समय प्रचलित कानून के अनुसार पिता की संपत्ति में पुत्रियो को कोई अधिकार नहीं था और उस समय यह नामान्तरण तत्समय प्रचलित कानून के अनुसार निर्णित होता है। प्रार्थीगण द्वारा सिविल न्यायालय में भी दावा पेश किया गया था, जो खारिज हो चुका है। अप्रार्थी संख्या 2 के अधिवक्ता

16/12/25

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 01 के द्वारा अप्रार्थी संख्या 02 को दिनांक 16.11.2010 को अपने नाम दर्ज भूमि सद्प्रतिफल बेचान की गई थी। अप्रार्थी संख्या 02 राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार है। अप्रार्थी संख्या 02 के पक्ष में निष्पादित पंजीकृत विक्रय विलेख को राजस्व न्यायालय खारिज करने में सक्षम नहीं है। मौके पर वादग्रस्त भूमि का पंजीकृत विक्रय पत्र के निष्पादन के साथ ही अप्रार्थी संख्या 02 का कब्जा काश्त है एवं राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं कि जा सकती। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं होता है। अप्रार्थी संख्या 04 के अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 04 के द्वारा पंजीकृत विक्रय विलेख से वादग्रस्त भूमि विक्रय की गई है और पंजीकृत विक्रय विलेख के निष्पादन के साथ ही यह प्रजामशन (सद्भाविक) रूप से यह माना जाता है कि क्रेता को वादग्रस्त भूमि का कब्जा सुपुर्द कर दिया गया है और राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है।

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा रिविटल बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण को हिन्दू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के अनुसार जन्म से ही अधिकार प्राप्त हो चुके है। अतः अप्रार्थीगण का यह कहना कि वादग्रस्त भूमि दिनांक 23.06.1990 को अप्रार्थी संख्या 01 के नाम दर्ज होकर अप्रार्थी संख्या 01 को समस्त हक एवं अधिकार संरक्षित हो चुके थे, गलत है। हिन्दू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के अनुसार पुत्रियों को भी जन्म से ही अपने पिता की संपति में पुत्र के समान अधिकार प्राप्त होते है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त भूमि प्यारा पिता नाथू के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी। प्यारा की मृत्यु के उपरान्त वादग्रस्त भूमि अप्रार्थी संख्या 01 रामा के नाम दर्ज हुई। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 01 के हितो/ अधिकारों का मूल वाद में निर्धारण होना शेष है। हिन्दू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के अनुसार वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण के हक अधिकार उत्पन्न होने का मूल वाद में विनिश्चय होना शेष है। प्रार्थीगण के वादग्रस्त भूमि में हितों/अधिकारों का विनिश्चय मूल वाद में साक्ष्य एवं विधि की विस्तृत विवेचना उपरान्त किया जायेगा। वर्तमान में मूल वाद तनकी कायमी की स्थिति में है, जिसका अंतिम निस्तारण निकट भविष्य में होने की पूर्ण संभावना है। अतः प्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला प्रमाणित होता है।

2. सुविधा का संतुलन एवं 3. अपूरणीय क्षतिः–

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि पैतृक होने से हिन्दू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के प्रभावशील होने के साथ ही वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण का हक हिस्सा उत्पन्न हो जाता है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा राजस्व कार्मिकों से मिली भगत करते हुए वादग्रस्त भूमि अकेले अपने नाम दर्ज करवा ली गई जो गलत है। अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा वाद प्रस्तुतीकरण के उपरान्त एवं माननीय न्यायालय द्वारा जारी एकपक्षीय अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 13.02.2012 के उपरान्त अप्रार्थी संख्या 04 के पक्ष में पंजीकृत विक्रय विलेख से भूमि का बेचान किया गया। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा माननीय न्यायालय के आदेशों की अवहेलना की गई और दौराने वाद भूमि का विक्रय किया गया। इससे यह साबित होता है कि वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण के हितों का अन्तरण दौराने वाद अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा पूर्व में कर दिया गया है और इससे शेष बची भूमि में भी अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा प्रार्थीगण के हितों का अन्तरण किये जाने की संभावना है। इससे प्रार्थीगण के हितों को अपूरणीय क्षति होगी और सुविधा का संतुलन का सिद्धान्त भी वादग्रस्त भूमि के पैतृक कृषि आराजियात होने से प्रार्थीगण के पक्ष में प्रमाणित होता है। अतः सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में प्रमाणित होता है। अप्रार्थी संख्या 01 के अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि के संबंध में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 06 का अवलोकन किया जाना चाहिए। वादग्रस्त भूमि सहदायिकी संपत्ति है। अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा अपनी सहदायिकी दायित्वों का निर्वहन किये जाने हेतु अंतरित की गई सहदायिकी संपत्ति के संबंध में हिन्दू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 प्रभावशाली नहीं होता है। अतः संविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिन्दु अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है। अप्रार्थी संख्या 02 के अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 01 के नाम वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में जो भूमि शेष रही है उसमें से प्रार्थीगण अपने

सहायक कलेक्टर
भीलवाड़ा

हक हिस्सा प्राप्त कर सकते है। जिस भूमि का बयान अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा अप्रार्थी संख्या 02 के पक्ष में जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख कर दिया गया है उसे शून्य करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है। अप्रार्थी संख्या 04 के अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र एवं वाद में वादग्रस्त भूमि के नामान्तरण हेतु निष्पादित पंजीकृत विक्रय विलेख को शून्य करने की अधिकारिता राजस्व न्यायालय को नहीं होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। चुंकि अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 13.02.2012 से वादग्रस्त भूमि का कब्जा सहप्रतिफल प्राप्त किया जाकर अप्रार्थी संख्या 04 को सुपुर्द कर दिया गया है। इस प्रकार मौकें पर प्रार्थीगण का कोई भी कब्जा काश्त नहीं रहा है। जिससे प्रार्थीगण के पक्ष में सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिन्दु साबित नहीं होता है।

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा रिविटल बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त भूमि में जन्म से ही अधिकार उत्पन्न होने के आधार पर हक हिस्सा नियुक्त किये जाने का दावा पेश किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपने दावे में अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थी संख्या 02 व 04 के पक्ष में निष्पादित विक्रय विलेख के प्रभाव से ही अवैध एवं शून्य होने से अपने अधिकारों की घोषणा चाही गई है ना कि पंजीकृत विक्रय विलेख के शून्य करणीय होने के आधार पर। अतः सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि भूमि को अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा दौराने वाद स्थगन आदेश प्रसारित होने के उपरान्त भी अप्रार्थी संख्या 04 के पक्ष मे विक्रय विलेख निष्पादित करवाया गया। न्यायालय का यह विधिक दायित्व है कि दौराने वाद वादग्रस्त भूमि का अंतरण नहीं हो और विचाराधीन वाद में वादग्रस्त भूमि का अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा अप्रार्थी संख्या 04 के पक्ष में विक्रय विलेख निष्पादित किया गया है। यदि अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा शेष भूमि का भी अन्य व्यक्ति को अंतरण कर दिया जाता है एवं अप्रार्थी संख्या 02 एवं 04 द्वारा विक्रय विलेख को धारित भूमि अंतरण किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में कर दिया जाता है तो नवीन वादकारण उत्पन्न होंगे और नवीन वादों की श्रृंखला प्रारम्भ हो जाएगी। न्यायालय का यह दायित्व है कि वादों की श्रृंखला को रोके। अतः सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण अपने पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिन्दु साबित करने में प्रथम दृष्टया सफल रहे है। साथ ही प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत मूल वाद संख्या 36/2012 उनवान प्रेम देवी बनाम रामा अन्तर्गत धारा 88, 89, 92ए 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वर्तमान में साक्ष्य वादी की स्टेज पर है। जिसका निकट भविष्य में निस्तारण होने की पूर्ण संभावना है। अतएवं

–: आदेश :–

प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 04 स्वीकार किया जाता है और अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 04 को वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद्ध किया जाता है। अप्रार्थी संख्या 03 वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज खातेदार की मृत्यु होने पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार उसके विधिक वारिसान के नाम नामान्तरण दर्ज करने पर यह स्थगन आदेश प्रभावी नहीं होगा। निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो तथा नम्बर से कम हो।

21/6/2025

(अरूण कुमार जैन)
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा